[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता… अहकाम ज… हुक्म की ता… जारी हु…
	धारा 136 LRAct प्र.नं. - 65/2024	

24.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस की असालतन तामील होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्राक 1504/भू.अ/2025 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

25.09.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 15.10.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

15.10.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् नामान्तकरण संख्या 1041, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी [illegible] माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, मूल निवास [illegible] पत्र की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सरपंच, ग्राम पंचायत अरनियां द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का अरनियां व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम अरनियां के भूमि खाता संख्या 729 में प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]
	नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 191 / 9240 जाति अहीर जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम खातेदार मंगलचन्द पुत्र नारायण के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1041 से दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। रमेश पुत्र मंगलचन्द व कैलाशचन्द पुत्र मंगलचन्द दोनों एक ही व्यक्ति है तथा रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति अहीर के समस्त दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द नहीं होकर कैलाश चन्द पुत्र मंगलचन्द एक ही व्यक्ति होने से नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तन् ग्राम अरनियां के भूमि खसरा नम्बर 970 रकबा 0.7600 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त नाम खातेदार मंगलचन्द पुत्र नारायण के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1041 से प्रार्थी व इनकी माता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति अहीर सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सरंपचं, ग्राम पंचायत अरनियां द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति अहीर के स्थान पर कैलाश चन्द यादव पुत्र मंगलचन्द जाति अहीर सा. देह अंकित होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल0 आर0 एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पायें जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

- लगातार -

कैलाशचन्द बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक हुक्म ज
	प्रा०पत्र 136LRAct ग्रा.न.-65/2024	

श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि तन् ग्राम अरनियां के भूमि खसरा नम्बर 970 रकबा 0.7600 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र मंगलचन्द के स्थान पर रमेश उर्फ कैलाश चन्द यादव पुत्र मंगलचन्द जाति अहीर किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested